खंड 3
विकास और राज्यीय राजनीति

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

खंड 3 परिचय

भारत में विभिन्न राज्यों ने समाज की जरूरतों को पूरा करने में नीतियों को लागू किया है। सामान्यता, इन नीतियों में ये मुद्दे शामिल है – आधारभूत ढाँचे का विकास एवं संस्थाऐं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी विकास, कल्याणकारी नीतियाँ, सकारात्मक कार्य, विशेषकर वंचित वर्गों के लिये इत्यादि। इसके अलावा वृद्धि दर भी विकास की ओर इंगित करती है। देश के संपूर्ण विकास में नीतियाँ का योगदान होता है। इस खंड में दो इकाइयाँ है जिनका संबंध विकास मॉडल से है। इकाई 7 का संबंध विकास मॉडल एवं इकाई 8 का संबंध पलायन से है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 7 राज्य विकास मॉडल*

संरचना

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 भारत में विकास : व्याख्याएं

7.3 उप–राष्ट्रीय स्तर पर विकास : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

7.4 राज्यों के विकास मॉडल

7.4.1 पंजाब मॉडल

7.4.2 केरल मॉडल

7.4.3 गुजरात मॉडल

7.4.4 तमिलनाडु मॉडल

7.4.5 अन्य विकास मॉडल

7.5 संदर्भ

7.6 सारांश

7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

यह इकाई भारतीय राज्यों में विकास मॉडल से संबंधित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :–

- विकास मॉडल के अर्थ को समझा सकेंगे;
- भारतीय राज्यों में विकास प्रतिमान के तरीकों की तुलना कर सकेंगे;
- भारतीय राज्यों में विकास मॉडल के चक्र को ट्रेस कर सकेंगे; तथा
- भारत में विकास प्रतिमानों एवं राज्यों के विकास मॉडल के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

विकास मॉडल समाज के विभिन्न पहलुओं में राज्य द्वारा अपनाई गई विकास नीतियों को दर्शाता है। इनमें बुनियादी ढ़ाँचा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कल्याणकारी नीतियाँ जिसमें गरीबी उन्मूलन, इत्यादि शामिल हैं। इन्हें राज्य या बाजार द्वारा लागू किया जा सकता है। इनको बाजार और राज्य दोनों के गठबन्धन द्वारा भी लागू किया जा सकता है। भारत में विकास मॉडल दो स्तरों पर मौजूद होता है : एक संपूर्ण भारतीय स्तर पर तथा दूसरा विभिन्न राज्यों के स्तर पर। भारतीय स्तर पर विकास के मॉडल को भारतीय विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है तथा विभिन्न राज्यों में यह विभिन्न प्रकार के मॉडल हो सकते हैं। इस इकाई में, आप उदाहरणों के साथ राज्यों के

* डॉ. सुधीर कुमार सुथार, ऐसिटटेंट प्रोफ्रेसर, सेंटर फॉर पालिटिकल स्टडीज, जे.एन.यू., नई दिल्ली–110067

विकास मॉडल के बारे में पढ़ेंगे ये उदाहरण आपको भारतीय राज्यों में विकास के पैटर्न (तरीकों) को समझने में मदद करेंगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच भारत के विकासात्मक प्रक्षेपवर्क एक बहस का मुद्दा रहा है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, भारत गरीबी, कुपोषण और भूख से पीड़ित था तथा नये भारतीय राज्य के सामने अपने लोगों का विकास करना सबसे बड़ी चुनौती थी। आजादी के कई वर्षों बाद भारत में सभी पहलुओं में विकास दिखाई दिया है – जैसे, बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, इत्यादि। वास्तव में, इस सदी के दूसरे दशक तक भारत सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत ने यह सब संसाधनों की कमी के बावजूद प्राप्त किया है। इन कमियों में भोजन की कमी भी रही। बाजार और राज्य की सापेक्ष भूमिकाओं के संदर्भ में भारत का विकास मॉडल दो चरणों में होकर गुजरा है। पहला चरण मोटे तोर पर (1950–1991) था इसमें भारत के विकास मॉडल में राज्य ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। यह नेहरूवादी या महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता था। चूंकि इस मॉडल में राज्य की भूमिका इसमें अधिक रही है, इसे राज्य के विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से औद्योगीकरण, के संदर्भ में इसमें राज्य की प्रमुख भूमिका होने के कारण इसे राज्य–निर्देशित विकास मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चरण बाजार की बढ़ती भूमिका तथा राज्य की सापेक्ष गिरावट के रूप में जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे राज्य की वापसी के रूप में देखते हैं। यह चरण 1991 में शुरू हुआ जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किये गये थे। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण (LPG) के नाम से जाने जाते हैं। विकास का यह चरण, भारतीय राज्यों में विकास मॉडलों में दिखाई देता है। विकास की प्रकृति मॉडल या विकास के स्तर को दो तरह से देखा जा सकता है। एक विचार विकास को वृद्धि दर के रूप में देखता है जबकि दूसरा विचार मानव विकास के संदर्भ में। प्रथम विचार भारत के संदर्भ में जी.डी.पी. को ध्यान में रखता है, तथा राज्यों में विकास को एस.जी.डी.पी. को ध्यान में रखकर देखता है। जबकि दूसरा विकास के मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता देता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्र मानव विकास तथा अन्य सूचकांक। इन सभी कारकों के मूल्यांकन को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। भारत में विकास मॉडल तथा खासकर राज्यों में कई दिक्कतों के अंतर्गत कार्य करता है। इनमें से कुछ तनावपूर्ण दवाब या परस्पर विरोधी हितों का राजनीतिकरण, लोकलुभावनवाद, चुनावी गणनाऐं, विद्रोह और कई हिस्सों में दंगे, संसाधनों की कमी, इत्यादि शामिल है।

7.2 भारत में विकास : व्याख्याएं

भारत का विकास मॉडल विरोधाभासी है। जहाँ एक तरफ गरीबी हैं वहीं दूसरी तरफ समृद्धि भी है। विद्वानों ने इस विरोधाभास की तीन प्रकार से व्याख्या की है। पहली, व्याख्या रेखांकित करती है कि बावजूद इसके कि भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संघीय ढाँचा, और संविधान की वजह से विकास के लक्ष्य हासिल करना संभव हो सका। दूसरी, व्याख्या के अनुसार, 1991 के बाद से शुरू हुए आर्थिक सुधारों के कारण भारत यह हासिल कर पाया। विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार और उनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह सब संभव हो सका। तीसरी व्याख्या भारत में लोकतंत्र की सफलता को दर्शाती है जिसमें मध्यम वर्ग का उदय, भारत में सुधारों के लिये संसाधनों उपलब्धता भी शामिल है। इसके अलावा एक

व्यापार उन्मुख अभिजात वर्ग ने आर्थिक अवसरों को खोलने और कुशल शक्ति का उदय होने में योगदान दिया है। इन कारकों ने एक अर्थव्यवस्था के पूर्ण विकास और भारत में निवेश और फलस्वरूप वृद्धि और विकास की संभावना में योगदान दिया है। ये व्याख्याएं भारत के विकास को राष्ट्र–राज्य के स्तर पर केंद्रित करती है। ये क्षेत्रीय, उप–राष्ट्रीय स्तर की विविधता को अनदेखा करते है, जिसने भारत के विकास की सफलता में योगदान दिया है। वास्तव में भारत का विकास विभिन्न राज्यों में विकास की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। विभिन्न राज्यों में विकास के पैटर्न यह समझने में मदद करते हैं कि कुछ राज्य अपनी विकास परियोजना या विकास मॉडलों में दूसरों की तुलना में बेहतर क्यों करते हैं। आप खंड 7.4 में भारत के विभिन्न राज्यों में विकास मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे।

7.3 उप–राष्ट्रीय स्तर पर विकास : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

विकास के नेहरूवादी एवं महालोनोविस मॉडल में राज्य की अहम भूमिका रही है। राज्य ने भारतीय राज्यों में ऐसी ही भूमिका निभाई है जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राज्य ने भूमिका निभाई है। जैसा कि पहले ही कहा गया है विकास को दो स्तर पर देखा जा सकता है। पहला अखिल भारतीय स्तर पर जो विभिन्न राज्यों के औसत विकास को दर्शाता है, जबकि दूसरा, राज्यों के अंदर विकास। राज्यों के भीतर विकास को उप–राष्ट्रीय विकास भी कहा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में विकास का पैटर्न या तरीका एक जैसा नहीं है। विभिन्न राज्यों के मुद्दे और चुनौतियाँ भी भिन्न–भिन्न है। विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है एवं, किसी एक राज्य के अंदर भी क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। एक तरफ जहाँ विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जो अति पिछड़े हैं, जिन्हें हम बीमारू (BIMARU) राज्यों की श्रेणी में रखते हैं। ये बीमारू राज्य है बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। कुछ ढाँचेंगत असमानताओं की वजह से इन राज्यों में असमान विकास हुआ है। इसने अविकसित राज्यों के भीतर भेदभाव की भावना को जन्म दिया है। इन भावनावों के अनुसार भेदभाव केन्द्र सरकार एवं विकसित राज्यों के द्वारा होता है। इसके परिणामस्वरूप, पिछड़े क्षेत्र अलग राज्यों के गठन की माँग करते हैं। इसका ताजा, उदाहरण हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड एवं मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्यों के गठन के रूप में देख सकते हैं। उत्तराखंड भी नए राज्य का एक उदाहरण है, इसका निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से बना न कि आर्थिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन के कारण। तीन नए राज्य – झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड बीमारू राज्यों से अलग होकर बनाये गये थे।

1991 में आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद से राज्यों ने विकास के एजेन्डे को लागू किया। हालांकि इन्हें इसके लिये केन्द्र से अनुमति लेनी पड़ती है। लॉरेंस सीज ने अपनी पुस्तक (2002) ''फेडरेलिज्म विदाउट सेंटर : द इंपैक्ट ऑफ पोलिटिकल रिफोर्म इन इंडिया'' में यह दलील पेश की कि सरकार एवं भारतीय राज्यों के बीच, अंतर सरकारकीय, प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच अंतर–सरकारी सहयोग में स्थानांतरित हो गई है। फलस्वरूप राज्य अब आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र पर निर्भर नहीं है। आर्थिक सुधारों ने इस अवस्था का उपयोग करने और निजी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया। सुधारों से पहले राज्यों में औद्योगीकरण संघ सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर था और संघ और राज्य के

बीच संबंध पर निर्भर था। सुधार के साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी स्वायत्ता का इस्तेमाल करके निजी कंपनियों को आमंत्रित किया और औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया। गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने सुधारों की शुरूआत की पहल की। वे राज्य जहाँ गैर–काँग्रेसी सरकारें थीं इसके लिये ज्यादा सक्रिय थे। वे केन्द्र सरकार पर वित्तीय और औद्योगिक विकास के लिए निर्भरता को कम करना चाहते थे। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय दलों और नेताओं ने व्यक्तिगत स्तर पर विकास की प्रक्रिया में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर इसके कुछ प्रासंगिक उदाहरण हैं – आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद शहर में उसके आसपास आई टी सैक्टर को प्रोत्साहित किया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने निजी क्षेत्र को चेन्नई के आसपास विनिमयि इकाइयों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को तेज करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इन राज्यों के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी औद्योगीकरण के लिए कदम उठाये। इन राज्यों ने अपने औद्योगिक उपाय एवं नीतियों को विकसित किया ताकि भारतीय वैश्विक निवेश उद्योग स्थापित कर सकें। इसके अलावा, कुछ राज्य कृषि क्षेत्र में नये प्रयोगों के केंद्र बन गये। पंजाब ने कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर तीव्र कृषि आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया। अन्य राज्यों के विपरीत केरल ने शिक्षा के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, विशेषकर कौशल विकास को कृषि विकास के अलावा।

सरकारों और निजी क्षेत्र के सहयोग को निजी क्षेत्र इन सुधारों ने प्रोत्साहन मिला, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने में। राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि का अधिग्रहण आवश्यक हो गया। ऐसे उद्योगों का उद्देश्य संबंधित राज्यों में लोगों को रोजगार देना था। उनसे बुनियादी ढाँचे के विकास की भी उम्मीद की गई थी। सेज की स्थापना के लिये भूमि के अधिग्रहण पर राजनीति उत्पन्न हुई। सेज की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण का कई राज्यों में किसानों ने विरोध किया। इससे विकास के एजेंडे का राजनीतिकरण हुआ। विपक्षी दलों और किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जिससे कुछ उदाहरणों में हिंसा भी हुई। जिससे कुछ मामलों में सेज के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस सदी के पहले दशक में भारत में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और सिंगूर तथा उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल में हिंसा हुई। इससे इन राज्यों में संबंधित सरकारों ने विकास के ऐजेंडे को पटरी से उतार दिया।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) विकास मॉडल को परिभाषित करें।

.....

.....

.....

.....

2) उप–राष्ट्रीय स्तर विकास के सामने कौन–से मुद्दे एवं चुनौतियाँ हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 राज्यों के विकास मॉडल

हम भारत के राज्यों को उनके विकास के आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि विकास के मॉडल के अर्थ में कहा गया है, किसी राज्य में विकास मॉडल की विशेषताऐं नेतृत्व द्वारा पहचानी जा सकती हैं। एवं इन्हें राज्य में शासित दलों, नीतियों की प्राथमिकताओं, बुनियादी ढाँचे का विकास जैसे सड़क, शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थाऐं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और अन्य सामाजिक कल्याण उपाय और मानव अधिकार इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्यादातर विद्वानों ने विकास के स्तर को मापने के लिये राज्य की वृद्धि दर का उपयोग किया है। हालांकि कुछ विद्वान वृद्धि को सामाजिक कल्याण से अलग करके नहीं देखते है। अर्थात वे विकास को मानव क्षमताओं के विकास जैसे मानव विकास के रूप में देखते हैं। केरल, गुजरात, पंजाब, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आर्थिक विकास में वृद्धि एवं मामूली मानव विकास देखा गया है। बीमार राज्यों के साथ–साथ ओड़िसा तथा उत्तराखंड, झारखंड ओर छत्तीसगढ़ राज्यों (जो बीमारू राज्यों का हिस्सा थे) विकास संकट से जूझ रहे हैं। अतुल कोहली, सुब्रत मित्रा जैसे विद्वानों ने भारत के विभिन्न राज्यों में शासन के सवाल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक ''पोवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया (2012) में बिहार और उत्तर प्रदेश में संरक्षण – आधारित राजनीति को उनके कुशासन को प्राथमिक कारणों में माना है। उनका माना है कि सुधारों के युग में वृद्धि को संरक्षण मिला। यह वह समय है जब भारतीय राज्य जो सुधारों के पूर्व समाजवादी ऐजेंडे के समर्थन थे। व्यवसाय हितेशी (Pro-buistness) बन गये हैं। पश्चिम बंगाल ने गरीबी के स्तर को कम किया क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों को लागू किया। गुजरात ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया तथा औद्योगिक विकास अनुकूल पर्यावरण नीति को अपनाया। आप नीचे कुछ चुनिंदा राज्यों में विकास मॉडल की विशेषताओं के बारे में पढ़ोंगे।

7.4.1 पंजाब मॉडल

पंजाब का विकास मॉडल राज्यों में विकास पैटर्न को दर्शाता है जहाँ विकास में कृषि का बड़ा योगदान है। पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र को खाद्य आवश्यकता में भारत को आत्म निर्भर बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंजाब राज्य 1960 के दशक में भारत में खाद्यान की कमी पूरा करने वाला एक रक्षक राज्य था। उस समय खाद्य संकट चीन के साथ युद्ध और मानसून की विषलता के कारण अधिक जटिल हो गया था। हरित क्रांति द्वारा भारत खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भर बना तथा भारत में खाद्यान की कमी को भी पूरा किया जा सका।

हरित क्रांति द्वारा उच्च उपज वाली किस्मों के बीज (HYV), रसायनों और उर्वरक (खाद) और कृषि क्षेत्र में मशीनरी के उपयोग को लाया गया। और पंजाब ऐसा ही क्षेत्र था। हरित क्रांति लाने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त खाद्यान का उत्पादन करना और भारत को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना था। इससे एक विकसित सिंचाई प्रणाली और ट्रैक्टर और इससे जुड़े उपकरणों का प्रयोग हुआ।

पंजाब को कृषि में परिवर्तन तेजी से वाले राज्य का श्रेय जाता है। इससे गेहूँ और चावल के उत्पादन में बड़ी उछाल देखी गई। ये ही दो फसलें थी जो हरित क्रांति से बेहद लाभाविन्त हुई। इन दोनों फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत तथा सरकार की खरीद नीति के कारण इन उनके उत्पादन और राज्य के किसानों की आय के स्तर को सुनिश्चित किया जा सका। हरित क्रांति ने पंजाब में रोजगार की स्थिति और वर्ग निर्माण को प्रभावित किया। इसने राज्य में वाणिज्यिक कृषक के उद्भव के संकेत दिये। वाणिज्यिक कृषकों के उदय से साथ प्रवासी कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, विशेषकर, देश के पिछड़े क्षेत्रों के खेतीहर मजदूरों के लिये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखते थे। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत से आगे निकल गई जो एक दशक के भीतर भारत में सबसे तेजी से बढ़ी। पंजाब में कृषि विकास का मॉडल स्वतंत्र भारत में सबसे सफल मॉडल बनकर उभरा है।

यद्यपि, हरित क्रांति आधारित विकास मॉडल ने देश की उन्नति एवं प्रगति में योगदान दिया, लेकिन लंबे समय तक इसने राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक संकट को भी जन्म दिया। कृषि पर ज्यादा ध्यान देने से कई प्रकार की समस्याऐं उत्पन्न हुई। बहुत जल्द ही पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र का पतन शुरू हुआ। कृषि पर फोकस करने से गंभीर पर्यावरण संबंधित चिन्ताऐं भी सामने आई। विशेषकर खाद एवं रसायनों के प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। इसकी कृषि क्षेत्र राज्य पर निर्भर हो गया क्योंकि भारतीय खाद्य निगम एक बड़ी एजेंसी बन गई थी। राज्य सरकार ने भी पानी, बिजली एवं अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य की वृद्धि दर लगातार गिरने लगी। विद्रोह इर्सजेंसी राज्य की समस्याओं में बढ़ोतरी की। कृषि उत्पादन में गिरावट एवं औद्योगीकरण की कमी के कारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट देखी गई। इससे खेतीहर मजदूरों एवं किसानों के बीच आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। पंजाब मॉडल की स्थिरता (sustainability), राज्य के विकास के सामने एक चुनौती के रूप में उभरी है। कुछ विद्वानों ने पंजाब में हिंसा को 1980 में हरित क्रांति द्वारा उत्पन्न किये संकटों के परिणामस्वरूप देखा है।

7.4.2 केरल मॉडल

केरल मॉडल आमतौर पर मानव विकास खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेषरूप से जोर देने के लिये जाना जाता है। केरल को कई वर्षों तक उच्च मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने केरल के विकास को एक रोल मॉडल के रूप में व्यक्त किया है। अमर्त्य सेन और ज्याँ ड्रीज ने अपने लेखन में मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में केरल की उपलब्धि को रेखांकित किया है। केरल मानव विकास के सूचकांक शिक्षा स्वास्थ्य अहिता कल्याण के संदर्भ में विकसित देशों के काफी करीब है। अमर्त्य सेन और ज्याँ ड्रीज ने इस सफलता का श्रेय राज्य की कल्याणकारी नितियों को दिया है। केरल ने

कल्याणकारी नीतियों लक्ष्य बनाकर मानव विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है जो लोगों की आय में वृद्धि करती है। केरल ने विकास या सहकारी समितियों तथा पर्यटन विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इन दोनों नीतियों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में समान विकास हासिल करना था। वामपंथी सरकार ने इस मॉडल को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल विकास मॉडल के विपरीत जहाँ शहरीकरण और औद्योगीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, केरल के विकास मॉडल का ध्यान ग्रामीण केन्द्रित और अधिक कुशल था। इसके अलावा केरल का विकास मॉडल बॉटम–अप योजना का परिणाम था। स्थानीय स्व शासन की इकाइयों ने राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रभावी भूमिका निभाई। महिलाओं की भागीदारी केरल के विकास सकी पहल में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रही है। केरल की द्वि–ध्रुवीय गठबंधन, राजनीति जिसमें वामपंथी सरकारों एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य धार्मिक समूह विशेषकर मुस्लिम एक क्रिश्चियन अल्पसंख्यक वर्ग शामिल है ने इसके विकास में अहम योगदान दिया है। इन नीतियों को लागू करने के साथ केरल औद्योगिक विकास पर अपनी निर्माता कम कर सकता है जो विदेशी निवेश से हुआ है। किसी प्रकार की निर्भरता नहीं होने के बावजूद केरल के कृषि केन्द्रित मॉडल ने विकास के समावेशी रूप को प्राप्त करने में मदद की। मानव विकास सूचकांक के मामले में केरल की परिस्थिति देश से बिल्कुल अलग है। अपनी पुस्तक में मानव विकास का सही चित्र प्रस्तुत करते हुए ज्याँ द्रेज ओर अमर्त्य सेन ने यह दलील दी कि भारत में गरीब, महिलाऐं अपनी आवश्यकता पूरा करने में असमर्थ है। जन कल्याण के लिए संसाधनों ताकि लोगों की जीवन यापन की स्थिति में सुधार किया जा सके का, उचित मात्रा में प्रयोग नहीं हुआ है।

तथापि, 21वीं सदी के शुरूआती दशकों तथा केरल के विकास में ठहराव आया। केरल में बेरोजगारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई और शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी। पर्यटन केन्द्रित मॉडल से पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है तथा इससे स्थानीय संसाधनों का भी दुरूपयोग हो रहा है। इसके अलावा सहकारी समितियाँ विभाग भी अकुशल व्यवस्था का पर्याय बन गया है क्योंकि लोग उपभोक्ता सहयोगी उत्पादों को खरीदने के लिए अब खुले बाजारों की तरफ देखने लगे हैं। इसकी अर्थव्यवस्था भी खाड़ी देशों में काम कर रहे मजदूरों के श्रमिक पर ही निर्भर करती है। इस संदर्भ में जो विचार केरल के बारे में उसके मानव विकास सूचकांक के समर्थन में दिये गये थे वो भी अब विरोध का सामना कर रहे हैं। जगदीश भगवती और अरविन्द पनगड़िया ने अपनी पुस्तक ''इंडियाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी : डी बंकिंग द मिथ दैट अंडरलाइस प्रोग्रोस एण्ड एड्रेसिंग न्यू इस्यूज'' (2012) में वे इस बात से सहमत नहीं कि केरल विकास मॉडल का एक सफलतम उदाहरण है।

7.4.3 गुजरात मॉडल

गुजरात मॉडल को भी एक और सफलता की कहानी के रूप में भारतीय राज्यों में प्रस्तुत किया गया है। केरल जिसको कल्याण के आधार पर मॉडल माना गया है से भिन्न, गुजरात मॉडल को औद्योगीकरण और बाजार–उन्मुख सुधारों की सफलता के रूप में जाना जाता है। इस सदी के प्रथम दो दशकों तक गुजरात भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। इसकी वृद्धि दर भी सुधारों की वजह से ही हुई। सुधारों के अंतर्गत इसकी अर्थव्यवस्था को निगम क्षेत्र को सौंप दिया गया, गुजरात में व्यवसाय करने के कानूनों में ढील दी गई, तथा इसकी भूमि और पर्यावरण

के कानूनों में नरमी बरती गयी। गुजरात का बंदरगाह के समीप होने की वजह से इसके औद्यौगीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिली। इसके अलावा गुजरात सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा किया और औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया ताकि वे ज्यादा उत्पादन कर सकें। सब्सिडी विभिन्न प्रकार की थी जिनमें, पूँजी, ब्याज, आधारभूत ढ़ाँचा या भूमि, जल या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर सब्सिडी। सरकार ने औद्योगिक पार्क एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भी बनाये ताकि विभिन्न औद्योगिक निर्यात उन्मुख इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन मिल सके। 1990 और 2010 के बीच गुजरात ने अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया। राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के लिये राज्य में निवेश करने की पहल की। इससे भी यह हासिल करने में मदद मिली। जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया गुजरात के विकास मॉडल के कट्टर समर्थक हैं। उनका तर्क है कि गुजरात जैसी अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर हासिल करने के बाद विकसित हो सकी है। और यह औद्योगीकरण और बाजार के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देकर संभव हो सका है। गुजरात का विकास भी ट्रिकल–डाउन–सिद्धांत पर आधारित है। गुजरात में एक मजबूत उद्यमी वर्ग ने गुजरात को उच्च विकास दर हासिल करने में मदद की है। ऐतिहासिक रूप से गुजराती भारत के भीतर और बाहर विशेष व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जब गुजरात सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को औद्योगीकरण के लिए खोला, इस उद्यमशील वर्ग ने इसका सकारात्मक रूप से जवाब दिया और गुजरात में भारी निवेश किया।

फिर भी गुजरात के विकास मॉडल की कई प्रकार की आलोचनाऐं हुई हैं। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की कमी के अलावा, जो विशेषतौर पर अपनी आजीविका के लिये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, विकास को केन्द्रिय राजनीतिक व्यवस्था द्वारा हासिल किया गया। स्थानीय स्व–शासन संस्थाओं की योजना बनाने या विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने में ना के बराबर भूमिका थी। औद्योगीकरण पर अत्यधिक जोर देने की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों की अनदेखी हुई। गुजरात के श्रम बल में सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा का अभाव है। इसके कार्यबल का अधिकांश भाग औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो बिना किसी सामाजिक और आय सुरक्षा के है। गुजरात ने पिछले एक दशक में बेरोजगारी में उच्च बढ़ोतरी देखी है।

7.4.4 तमिलनाडु मॉडल

तमिलनाडु के विकास मॉडल की रणनीति ऊपर दिये गये दोनों राज्यों केरल एवं गुजरात से गुणात्मक रूप से अलग है। इन दोनों राज्यों से भिन्न, तमिलनाडु में औद्योगिक विकास और आधारभूत विकास के इतिहास की विरासत नहीं है। यह 1980 का समय था जब तमिलनाडु में विकास शासन का प्रमुख मुद्दा बन गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पहले दो दशकों में नृजातीय एवं क्षेत्रीय आंदोलन हुए। तमिलनाडु ने दो स्तरीय रणनीति अपनाई। पहली, एक तरफ इसने सेवा क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, दूसरी इसने राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत् गरीबी दूर करने पर अधिक ध्यान दिया।

तमिलनाडु में बेहतर शिक्षा सुविधाओं का भी इतिहास था। इसने राज्य के औद्योगिक विकास का सामाजिक आधार भी प्रदान किया। इन कारकों के साथ दलित आंदोलन, महिला शिक्षा और बंदरगाहों की उपलब्धता ने बाजार के विकास के लिये प्रत्यक्ष सामाजिक वातावरण का निर्माण किया। इसके अलावा, राज्य ने औद्योगिक गलियारों

के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। परिणामस्वरूप, तमिलनाडु आटोमोबाइल सैक्टर का एक केंद्र बन गया।

तमिलनाडु ने राज्य द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी गरीबों को भोजन प्रदान करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इसके मिड डे मील (मध्यान्तर भोजन) कार्यक्रम को भी उच्च सराहना मिली। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को (विशेषकर लड़कियों) को अन्य लाभ वितरित करने में भी भारी निवेश किया। इसकी कुछ योजनाओं, जैसे टेलीविजन, या साइकिल जैसी योजनाओं को विभिन्न कोनों से आलोचना मिली, लेकिन अन्य राज्यों ने भी विभिन्न तरीकों से समान योजनाओं का अनुकरण भी किया। इसके अलावा राज्य ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार किया। इस कारण मानव विकास सूचकांक में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ। तमिलनाडु का स्वास्थ्य संकेतक प्रति व्यक्ति कैपिटा खपत के स्तर में कमी होने के बावजूद केरल के काफी करीब है।

समाज कल्याण नीतियाँ तमिलनाडु के मानव विकास एंजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी ने कम करने तथा खाद्यान सुरक्षा प्रदान में योगदान दिया। आगनवाड़ी द्वारा बच्चों के कल्याण तथा उनके स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान मिला। यद्यपि राज्य की इन नीतियों को लोकलुभावन नीति के रूप में आलोचना हुई, परन्तु अन्य राज्यों में इन नीतियों को अपनाया गया।

7.4.5 अन्य विकास मॉडल

1990 दशक से भारत में विकास का प्रश्न एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस समय नेताओं, सरकारों और राजनीतिक दलों में एफ.डी.आई. को आकर्षित करने कल्याणकारी और लोक लुभावन योजनाओं को शुरू करने, और केन्द्र से अनुदान प्राप्त करने के लिये, तथा भारतीय कार्पेरेट समूहों से निजी क्षेत्र में निवेश कराने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। विकास को प्रस्तुत करने की यह दौड़ भारतीय राजनीति प्रवचन का एक अभिन्न अंग बन गयी है। नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा, नितिश कुमार के नेतृत्व में बिहार, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, मायावती, मुलायम सिंह यादव, या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में (भाजपा से संबंधित मुख्यमंत्रियों की तरह) ने 1990 के दशक के विकास एजेंडे को लागू किया। इसका मुख्य जोर बुनियादी ढाँचें का विकास, कल्याणकारी योजनाऐं इत्यादि था।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) राज्यों में विकास की कौन–कौन सी विशेषताऐं हैं?

.....

.....

.....

.....

2) पंजाब के विकास मॉडल के नकारात्मका परिणाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 संदर्भ

ड्रेज, ज्याँ एण्ड सेन, अमर्त्य (2013) *एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एन्ड इट्स कंट्राडिक्शनस.*, आर्क्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

हिरवे, इंदिरा, अमिता शाह घनस्याम शाह (2014) *ग्रोथ ओर डवलपमेंट : विच वे इज गुजरात गोइंग.* न्यू दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

सूद, निकिता (2012) *लिबटेलाइजेशन हिन्दू नेशनेलिज्म एन्ड द स्टेट* (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

भगवती, जगदीश एण्ड पनगड़िया, अरविन्द (2012), *इंडियाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, डीबंकिंग द् मिश्र दैट अंडरलाइन प्रोग्रेस एण्ड एड्रैंसिंग न्यू इस्यूज।*

मिश्रा, दीपक के. एण्ड नायक प्रदीप (2020), *लैन्ड एन्ड लाइवली हुड इन नीओलिबरल इंडिया,* पालग्रेव मैकमिलन।

सेजत्र लारेंस (2002), *फेडरेजिज्म विदाउट सेंटरः द् इंपैक्ट ऑफ पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक रिफोर्म इन इंडिया*।

7.6 सारांश

इस इकाई में आपने भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के मॉडल के बारे में पढ़ा है। विकास के मॉडल राज्य सरकार की विकास रणनीतियों के बारे में है जो लोगों के कल्याण के लिये नीतियों, आधारभूत ढाँचा और क्षमताओं का विकास से संबंधित है। यह राज्य और बाजार क्षेत्र की सापेक्ष भूमिकाओं के बारे में भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंजाब कृषि के आधुनिकीकरण के साथ विकास के एक मॉडल के रूप में उभरा। 1970 और 80 के दशकों के दौरान केरल एक ग्रामीण विकास कृषि विकास के साथ कल्याणकारी राज्य के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का एक उभरता हुआ मॉडल बन गया। 21वीं सदी की शुरुआत में गुजरात और तमिलनाडु दो अलग–अलग मॉडल के रूप में उभरे। गुजरात मॉडल बाजार के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण पर तथा तमिलनाडु मॉडल ने सक्रिय कल्याणकारी नीतियों के साथ औद्यौगीकरण की नीति पर केन्द्रित था। इन सब मॉडलों ने भारतीय विकासात्मक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संघीय चरित्र को संकेत किया। ये विभिन्न मॉडल एक अलग तरह की चुनावी राजनीति में भी दिखाई पड़ते हैं।

7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) विकास मॉडल राज्य की नीतियों के बारे में है जो बुनियादी ढाँचे, संस्थाओं, मानव क्षमताओं (शिक्षा और स्वास्थ्य) कल्याणकारी नीतियों, गरीबी उन्मूलन आदि से संबंधित है। इसे राज्य या बाजार द्वारा स्वतंत्र रूप से या उनके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा सकता है।

2) उप–राष्ट्र स्तर पर विकास के सामने ये चुनौतियाँ हैं: रोजगारों के अवसरों की असमानता, श्रोतों की कमी तथा उनके उपयोग करने की सीमाएं। ये चुनौतियों राज्य और बाजार की भूमिका पर मतभेदों के कारण होती है। ये विकास के मुद्दों के राजनीतिकरण के कारण भी उत्पन्न होती हैं। ये अक्सर विकास के एंजेंडे को प्रभावित करती है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) किसी राज्य के विकास मॉडल की पहचान उसकी विकास की आधुनिक संरचना जैसे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीबी उन्मूलन प्रोग्रेस तथा अन्य कल्याणकारी मुद्दों, मानव अधिकारों की स्थिति इत्यादि पर प्राथमिकताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है। इसे विकास में राज्य और विकास की सापेक्षिक भूमिका तथा नेतृत्व की प्रकृति के आधार पर भी पहचाना जा सकता है।

2) पंजाब विकास मॉडल नकारात्मक परिणाम में हैं : जमीन के उपजाऊपन में सतत कमी, पानी की टेबल का रिक्तिकरण, विकास दर की गिरावट, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी तथा सामाजिक और आर्थिक संकट।

इकाई 8 पलायन*

संरचना

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 पलायन क्या है?

8.3 पलायन के पुश एवं पुल कारक

8.4 भूमंडलीकरण एवं पलायन

8.5 भारत में आंतरिक पलायन के रूप

8.5.1 मौसमी पलायन

8.5.2 राज्य की प्रतिक्रिया और कानूनी विकास

8.5.3 लॉकडाउन (तालाबंदी) और पलायन

8.6 संदर्भ

8.7 सारांश

8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप –

- पलायन के अर्थ एवं इसके महत्व को समझ सकेंगे,
- पलायन के कारणों एवं तरीकों के सिद्धांतों की व्याख्या कर सकेंगे,
- भूमण्डलीकरण और पलायन के बीच संबंध को जोड़ सकेंगे, और
- भारतीय राज्य में पलायन के कारणों की चर्चा कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

लोग व्यवसाय करने, नौकरी की तलाश करने या अन्य उद्देश्य के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लोगों की यह गतिविधि उनकी आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनके सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। जैसा कि आप नीचे पढ़ोंगे, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को पलायन कहते हैं। प्रवास भी किसी देश के विकास के स्तर का एक संकेतक है। कभी–कभी, पलायन प्रवृत्तियों एवं दूसरे प्रवासियों जो लोग उस जगह में प्रवासी नहीं है, के बीच संघर्ष का भी कारण बन जाता है। पलायन चुनावों के दौरान भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बिंदू बन जाता है। इस इकाई में, आय प्रवास (पलायन) के बारे में पढ़ेंगे।

* डॉ. सिद्धार्थ मुकर्जी, ऐसिसटेंट प्रोफ्रेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बाला साहेब भीमराव विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

8.2 पलायन क्या है?

प्रवास या पलायन का अर्थ किसी एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पर स्थायी या आंशिक रूप से स्थायी बंदोबस्त के लिये जाना होता है। पलायन आंतरिक और बाहय दोनों ही हो सकता है। आंतरिक प्रवास से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करने से है। जबकि बाह्य पलायन का आशय किसी अन्य देश में स्थानान्तरण से है। प्रवासन के समय आंतरिक प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने से है जबकि अंतर्राज्यीय पलायन का आशय है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पलायन शब्द का इस्तेमाल अक्सर शरणार्थी शब्द के स्वरूप में किया जाता है। लेकिन एक प्रवासी और एक शरणार्थी के बीच अंतर होता है। शरणार्थी वे लोग हैं जो उत्पीड़न के डर से अपने मूल स्थान से दूसरे देश में जाकर बसते हैं। वे विवादास्पद क्षेत्र को छोड़कर किसी सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाते है ताकि वे अपना पुनर्वास कर सकें। यहाँ पर उनके पलायन का प्रमुख कारण विवादग्रस्त क्षेत्रों से बचकर निकलना है। शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षण एवं पहचान मिली हुई है। जबकि प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी प्रवासियों की परिभाषा अभी अस्पष्ट है।

लेकिन प्रवास की पारंपरिक अवधारणा जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिपादित की गई है, उसके अनुसार प्रवास का मतलब आजीविका या परिवार से पुनर्मिलान के लिये बाहर जाना ही प्रवास माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण अवसर बढ़ रहे हैं, और महानगर में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर अंतर–राज्य और अंतर–राज्य प्रवासन बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाना पलायन का सबसे प्रमुख उदाहरण है।

8.3 पलायन के पुश एवं पुल कारक

लोगों के अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर पलायन करने के कई कारक हो सकते हैं। जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत आदि शामिल है। एवरेट स्पर्जन ली, उन विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने प्रवास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ली के अनुसार, प्रवास के कारणों को दो प्रकार के कारकों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें हम पुश (धक्का) एवं पुल (खिंचाव) कारक कहते हैं। पुश कारक ऐसे कारक हैं जो लोगों को अपने मूल स्थान से अपने गंतव्य स्थान की तरफ पलायन को मजबूर करते हैं जबकि पुल कारक गंतव्य स्थान की तरफ प्रवास को आकर्षित करते हैं। पुश कारकों में रोजगार की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। भारत में सामाजिक बिन्दु जैसे, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र या विस्थापन ऐसे कारण है जो कि पुश कारकों में पलायन का कारण बनते हैं। पुल कारकों में बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि सामाजिक पर्यावरण जो अधिक समावेशी हैं, शामिल हैं। भारत में प्रवासन आमतौर पर कम विकसित राज्यों से विकसित राज्यों तथा गाँवों से शहरों की तरफ देखने को मिलता है। इन विकसित शहरों में दिल्ली, मुंबई, गुरूग्राम, और बंगलौर जैसे शहर शामिल है जहाँ पर प्रवासन के बड़े अनुपात को आकर्षित होते हैं। तथा ऐसे राज्य भी हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जहाँ पर प्रवासन को आकर्षित किया जाता है एवं पलायन के मूल राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओड़िसा, बिहार, झारखंड, धत्तीसगढ़, एवं राजस्थान शामिल हैं। यकीननः

ये क्षेत्र आने वाले लोगों के लिये बसने के लिए खुले हैं जो विविध सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आते हैं। कोविड 19 के कारण लॉकडाउन (2020) के दौरान भारत में बहुत अधिक उल्टा प्रवास देखने को मिला था। यह एकदम उल्टा था जिसमें हजारों प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए थे।

8.4 भूमन्डलीकरण और पलायन

भारत में वैश्वीकरण द्वारा सृजित अवसरों ने पलायन को बढ़ावा देने में पुश (धक्का) कारक के रूप में काम किया है। भारत में 1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधार वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। ये सुधार भुगतान संतुलन संकट जिसका भारत सामना कर रहा था, को दूर करने के लिये शुरू किये गये थे। वैश्वीकरण ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिये अर्थव्यवस्था खोली और व्यवसाय चलाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये राज्य विनियमन और नियंत्रण को कम किया। इसने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिये बाजारी ताकतों को और अधिक स्वतंत्रता दी। इसके फलस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए और इससे पलायन को प्रोत्साहन मिला। इसने पूरे देश में कुशल मध्यम वर्ग और मजदूरों को शहरों में पलायन करने का अवसर प्रदान किया। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय पलायन को भी प्रोत्साहित किया। कई भारतीयों का नौकरी एवं शिक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय पलायन हुआ जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलीकॉन वैली एवं कई अन्य पश्चिमी देशों में नौकरियों के लिये भारतीयों का पलायन हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण द्वारा जो संरचनात्मक परिवर्तन लाया गया था वह तेजी से विकास के एजेंडे पर केन्द्रित था। यह काफी हद तक बाजार से प्रेरित घटना थी जिसमें निजी क्षेत्र का तेजी से विस्तार शामिल था। आर्थिक वैश्वीकरण के तहत् विशेष आर्थिक एफ.डी.आई, एफ.आई.आई. बाहरी व्यापार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सॉफ्टवेयर के लिये प्रोत्साहन बढ़ाया गया था। प्रौद्योगिकी पार्क तथा सामान्य रूप से उद्योग और निजी वाणिज्य का तेजी से विस्तार किया गया था। प्रौद्योगिकी और संचार के विस्तार ने भी औद्योगिकीरण को सुगम बनाया जिसने सेवा उद्योग के विकास के लिए रास्ते खोले। ये बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बन गये थे। सेवा उद्योग की वृद्धि के साथ–साथ कुशल और अर्ध–कुशल दोनों सेगमेंट का तेजी से विकास हुआ। आई.टी. में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता के रूप में बी.पी.ओ./के.पी.ओ. उद्योग ने बैंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा और गुरूग्राम जैसे आई.टी, हब के लिये प्रवासन का बढ़ावा दिया, इसने इन शहरों में बेहतर आवास की सुविधाओं की माँग को उठाया। इसके कारण रियल एस्टेट उद्योग का उदय हुआ और श्रम के लिय सहवर्ती माँग में वृद्धि हुई। इसलिये वैश्वीकरण ने सीधे तौर पर कुशल श्रम की माँग को उठाया और इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये द्वारा खोल दिये। भारत में भी इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से इसने निर्माण श्रम को आकर्षित किया जिसने आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा दिया। भारत में बड़ी निर्माण कंपनियाँ असली मेगा उद्यम शुरू करने में जुटी है। इन कंपनियों में मुख्य रूप से डी.एल.एफ., लोढ़ा ग्रुप, ऐम्बंसी ग्रुप, ओमेक्स लिमिटेड, अंसल ए.पी. आई, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड एवं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, शामिल है। शहरों में विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े और मध्यम स्तर की आवासीय परियोजनाओं को शुरू किया गया। सार्वजनिक निजी संयुक्त उद्यमों ग्रह निर्माण परियोजनाओं के तहत बुनियादी ढाँचे का विकास किया

गया। इसने आवासीय क्षेत्र में भी प्रवासन को बढ़ावा दिया गया। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि वैश्वीकरण ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर पलायन को प्रोत्साहित किया। वैश्विक पूँजीवाद ने एक नये श्रमिक वर्ग का सृजन किया है जो अपनी बहतर आजीविका की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं।

हालांकि वैश्विकरण ने रोजगार के नये अवसरों का सृजन किया है लेकिन इससे प्रवासी मजदूरों का खतरा एवं अनिश्चितता भी बढ़ी है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री गाई स्टैंडिंग ने इन खतरों एवं अनिश्चितताओं का अवलोकन किया और अपना सिद्धांत प्रतिपदित किया। इसे स्टैंडिंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करते हैं। जिसे चार (A) के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ये हैं, Anger (गुस्सा), Anxiety (चिंता), Anomie (अप्रतिमानता) और Alienation (अलगावाद) इत्यादि। वैश्विक पूँजीवाद के तहत श्रम बाजार के लचीलेपन के कारण संकट और चिंता उत्पन्न होती है। प्रवासी कई प्रकार की असुरक्षा का सामना करते है जैसे, आय की कमी, रोजगार की असुरक्षा जिसमें भर्ती और छंटनी शामिल हैं, ऊपर की ओर गतिशीलता की कमी, कार्य करने की असुरक्षा, खतरनाक कार्य स्थिति, लंबे समय तक कार्य करने के कारण होने वाली थकान, प्रशिक्षण के अवसर की कमी तथा कौशल विकास की कमी, आय असुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। अकुशल (unskilled) सेगमेंट में प्रवासी कामगार ज्यादातर असंगठित होते हैं जिनके पास औद्योगिक नागरिकता के अधिकार की बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

इस प्रकार भूमंडलीकरण प्रवासी मजदूरों के लिये अवसरों एवं चुनौतियों से भरा होता है। पुल कारकों ने वास्तव में छोटे कस्बों एवं गाँवों से लोगों के पलायन को मजबूर किया है। निर्माण उद्योग आज प्रवासन की मुख्य साइट और आधार के रूप में कार्य करता है। लेकिन चुनौतियों और पूर्ति की नई अर्थव्यवस्था में प्रवासन और भी अधिक कठिन है जैसा कि गाई स्टैंडिंग ने संकेत दिया है। मजदूर असुरक्षा में फंस जाते हैं तथा राजीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण एक निश्चित स्थान पर अटक जाते हैं। वे सरकारी स्तर पर अपनी समस्याओं को संबोधित करने में विफल रहते हैं। प्रवासी मजदूर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए की सामूहिक आवाज उठाने में आमतौर पर असमर्थ होते हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

1) पलायन की परिभाषा दीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

2) पलायन के पुल एवं पुश कारक क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) वैश्विकरण और पलायन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 भारत में आंतरिक पलायन के रूप

नई सहस्राब्दि में 2001 और 2011 की जनगणनाएं पलायन के रूप को विस्तृत तरीके से वर्णित करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, कुल पलायन की संख्या 307.1 मिलियन थी, जिनमें से 90.4 मिलियन पुरूष पृथक एवं 216.7 मिलियन महिलाऐं थीं। अंतर–जिला एवं आंतरिक जिला पलायनों की संख्या 76.8 और 181.7 मिलियन थी। अन्य राज्यों से आने वाले पलायनों की संख्या 42.3 लियिन थी। क्षेत्रानुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पलायन की संख्या है। कुल 7.9 मिलियन प्रवासी है यहाँ पर। इसके बाद दिल्ली और पश्चिम बंगाल है जहाँ पर यह संख्या 5.6 मिलियन एवं 5.5 मिलियन थी। जनगणना से यह भी पता चलता है कि 1991 से 2001 के बीच में पलायन की संख्या में करीब 32.9 प्रतिशत कर बढ़ोतरी हुई है।

2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रवासियों की संख्या 45,57,87,621 थी जिसमें, 14,61,45,967 पुरुष थे, एवं 30,96,41,654 महिलाऐं थी। इससे यह पता चलता है कि 2001 एवं 2001 की जनगणना में भी महिला प्रवासियों की संख्या अधिक थी। इसका प्रमुख कारण शादी के बाद महिलाओं का अपने मूल स्थान को छोड़कर जाना था। वहीं पर ग्रामीण एवं शहरी प्रवासियों की संख्या 27,82,03,361 एवं 17,75,84,260 थी। अंतर–राज्य एवं अंतरा राज्य प्रवासियों की संख्या भी 39,56,52,669 एवं 5,42,64,749 थी। जबकि शादी के बाद हुए पुनर्स्थापन इसका प्रमुख कारण था, रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों से पलायन करना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1990 और 2000 के दशकों के दौरान पलायन में महत्वपूर्ण इजाफा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पलायन का तरीका लगभग एक जैसा ही रहा है। इनमें से कुछ बिंदू नोट करने लायक हैं। पहला, क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल आने प्रवासियों की सूची में से बाहर निकल गया है। जबकि, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में इन माइग्रेसशन से पलायन काफी तेजी से बढ़ा है। इन दोनों राज्यों का 37 प्रतिशत है यदि इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जोड़ दिया जाये तो यह संख्या 50 प्रतिशत होती है। जिन राज्यों में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाते है। उत्तर प्रदेश से प्रवेश तथा इसमें प्रवेश दोनों होते हैं। 2001 एवं 2011 में अंतर–राज्यीय प्रवासियों की संख्या में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि अंतर – अंतर–जिला स्तर में प्रवास में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है।

कई अध्ययनों एवं जनगणनाओं रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में महिला एवं पुरूष दोनों अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करते हैं। लेकिन उनके कारण एवं गंतव्य स्थान दोनों में अंतर होता है। महिलाऐं ज्यादातर अपने राज्य में ही पलायन करती हैं और शादी एक प्रमुख कारण है जबकि पुरुष अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने हैं और वे मुख्य रूप से रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। निम्नलिखित टेबल से यह स्पष्ट है कि पलायन के पीछे बड़ा कारण शादी है। और मुख्य रूप से महिलाऐं शादी के बाद अपने पति के स्थान पर पलायन करती हैं।

भारत में पलायन के कारण

कारण	कुल संख्या/प्रतिशत
काम–रोजगार	14.4 मिलियन (14.7 प्रतिशत)
व्यवसाय	1.1 मिलियन (1.2 प्रतिशत)
शिक्षा	2.9 मिलियन (3.0 प्रतिशत)
शादी	43.1 मिलियन (43.8 प्रतिशत)
जन्म के बाद स्थान छोड़ना	6.5 मिलियन (6.7 प्रतिशत)
परिवार के साथ पलायन	20.6 मिलियन (21 प्रतिशत)
अन्य कारण	9.5 मिलियन (9.7 प्रतिशत)

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001, पेज–3

लेकिन भारत में अब महिलाओं के पलायन के प्रमुख कारणों में शादी के कारण में गिरावट आई है तथा तब महिलाओं के पलायन का कारण आर्थिक कारण अधिक है। राव और फिनॉफ के अध्ययन (2015) में यह बात सामने आई कि 1983 और 2008 के बीच महिलाओं के पलायन का कारण उनका शिक्षा प्राप्त करना रहा है। यह 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1 प्रतिशत रहा जबकि आर्थिक कारणों में गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट 2.6 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत रह गई। इस अध्ययन में महिलाओं के पलायन के आर्थिक कारणों का भी जिक्र किया गया है। इसमें यह उजागर हुआ है कि ज्यादातर शादीशुदा महिलाऐं जो नौकरी की तलाश में पलायन करती थी, उनके पलायन में शादी एक प्रमुख कारण रहा है।

8.5.1 मौसमी पलायन

मौसमी प्रवास एक वर्ष के विशिष्ट मौसमों में होता है। इस अवधि में, फसलों की बुवाई और कटाई करने के लिए श्रम की आवश्यकता रहती है और ऐसे में पलायन अधिक होता है तथा जहां से पलायन होता है उन क्षेत्रों में कि कृषि के काम के लिए काम न होने का मौसम होता है। मौसमी प्रवासी विशिष्ट मौसमों के दौरान रोजगार के लिये पलायन करते हैं, और कार्य पूरा करने के बाद वे अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर से वे अगले मौसम में प्रवास करते हैं और काम समाप्त होने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं। और यह मौसमी प्रवास एक परिपत्र गोलाकार रूप में जारी रहता है। भारत में मौसमी प्रवासन को श्रम गतिशीलता के एक प्रमुख रूप में भी प्रलेखित किया गया है। बिहार से महिला मजदूरों का प्रवास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बर्धमान और मेदिनीपुर जिलों तथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के आदिवासी चीनी मिलों में

काम करने के दो प्रासंगिक उदाहरण हैं। 1980 के दशक तक मौसमी प्रवास कम था और 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। भारत में अस्थायी श्रम प्रवास के लिये क्षेत्रीय पैटर्न देखने को मिलता है। केसरी और भगत के अध्ययन (2012) से पता चतला है कि 1991 और 2000 के बीच यू. पी. में सबसे अधिक अस्थायी प्रवास देखा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में प्रवास का स्थान था। इससे यह भी पता चलता है कि मौसमी प्रवास की उच्च दर वाले राज्यों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की गतिशीलता बहुत अधिक है। ऐसे राज्य हैं – जैसे बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल प्रवासियों में लिंग अंतर कम है। इसके साथ–साथ अस्थायी पलायन समाज के निचले तबकों में ज्यादा पाया जाता है।

यूनेस्को के एक अध्ययन से पता चलता है कि मौसमी प्रवास ज्यादातर अशिक्षित और एस.सी., एस.टी. वर्गों में अधिक पाया जाता है (मरीना और तनखा, 2013, पेज, 15)। उनके पास जाति प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, मतदाता कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण पत्र नहीं होते है। इस वजह से वे राज्य की कल्याणकारी नीतियों के लाभ से वंचित रहते है। उनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिलती क्योंकि कामकाजी स्थान पर ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती क्योंकि वे विशिष्ट स्थान पर नहीं बसे होते है। कृषि के अलावा मौसमी मजदूर एक साल में विशिष्ट समय के लिये शहरों, कस्बों या खनन/खाद्यानों की ओर पलायन करते हैं। ये निर्माण उद्योग, रियल एस्टेट उद्योग, ईंट–भट्टों, टैक्सटाइल, खाद्यानों, कुली, चावल मिलों में काम करने, तथा रिक्शा खींचने जैसे काम करने के लिये पलायन हैं। कई मामलों में, पूरे परिवार जिसमें बच्चे और महिलाऐं मौसमी मजदूरों के रूप में पलायन करते हैं। कुल मिलाकर, देश में मौसमी प्रवास एक आम प्रकार के श्रम गतिशीलता के रूप में उभरा है। यद्यपि कृषि मौसमी प्रवास के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्रों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। परोक्ष रूप से सेवा उद्योग का विस्तार हुआ है जिससे पेशेवर वर्ग का बड़े शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ा है। इसने निर्माण उद्योग को भी जन्म दिया है जिससे बड़ी संख्या में मौसमी प्रवासियों की संख्या में इजाफा बढ़ोतरी हुई है।

8.5.2 राज्य की प्रतिक्रिया और कानूनी विकास

राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिये कुछ कल्याणकारी उपाय किये हैं। इस दिशा में पहला कदम राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 में पारित करना था। इस अधिनियम ने उन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया, जिन्होंने प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखा था। ऐसे प्रतिष्ठानों के लिये श्रम ठेकेदारों को भी श्रम विभाग से भर्ती के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक था। प्रवासी श्रमिकों के पहचान विवरण प्रदान करने के लिये कानूनी तौर पर आवश्यकता थी, और उनके लिये मजदूरी भुगतान के लिये भी इसकी आवश्यकता थी। श्रमिकों के लिये सबसे बड़ा कानून जो लाया गया वो श्रम कानूनों का एक समान लागू करना था जिसने उन्हें संगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों समान लाभ पहुँचाया। इस कानून ने ठेकेदारों को भी बाध्य किया कि वे श्रमिकों को विस्थापन और यात्रा भत्ता प्रदान करें एवं कार्य स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, सुरक्षा किट, दुर्घटना के दौरान चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था करे। इस अधिनियम की एक प्रमुख सीमा यह थी कि यह कल्याणकारी होने की बजाय विनियामक अधिक था। अधिनियम की शर्तें नियोक्ता और कर्तव्यों को परिभाषित करने के बजाय राज्य पर कल्याणकारी जिम्मेदारी डालने की

थी। 1996 में, एक विशेष कानून निर्माण श्रमिकों के लिये सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा श्रमिक कल्याण कोष एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी। इस कानून के दो प्रमुख आयाम कार्यस्थल पर नागरिक सुविधाओं की पेशकश करना तथा सुरक्षा प्रतिभूति प्रदान करना थे। जिम्मेदारियों को कल्याण बोर्ड और नियोक्ता के बीच विभाजित किया गया। कार्यस्थल पर 50 से अधिक महिला श्रमिकों के लिये स्वच्छ पेयजल आवास, क्रेच, शौचालय और मूत्रालय और प्राथमिक चिकित्सा शैल सुविधाओं प्रदान किया गया। कल्याण बोर्ड का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु वालों को वृद्धावस्था लाभ, दुर्घटना लाभ, सामूहिक बीमा, मातृत्व लाभ और बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिये विभिन्न सहायता उपलब्ध कराना था। कल्याण बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना था कि वह आयात काल छुट्टियों के दौरान उचित भुगतान किया जाये। अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान उन नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान कराना था जो 500 से अधिक प्रवासी मजदूरों को काम पर रखते है। इस समिति में भवन निर्माताओं एवं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व भी था। अधिनियम के अनुसार सभी राज्यों में श्रम विभाग में एक मुख्य निरीक्षण की नियुक्ति की जायेगी ताकि वह सभी गाइडलाइन का पालन करवाये। मुख्य निरीक्षक का कार्य कार्यस्थल पर औचक निरीक्षण भी करना था ताकि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले सके। यदि इस अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसमें में कठोरतम कार्यवाही करने का भी प्रावधान शामिल था

राज्य द्वारा पारित कानूनों को लागू करने के लिये कई चुनौतियों का सामना किया गया। राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 का उद्देश्य नियोक्ता की ड्यूटी को परिभाषित करना था तथा प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिये लागू नीतियों की जिम्मेदारी लेने था। इन नीतियों को लागू करने में काफी कमी भी थी, खासकर कानूनों का निर्माण करने एवं उन्हें लागू करने में (रॉय और नायक, 2017) । फिर भी कुछ राज्य जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, और तमिलनाडु में काफी अधिक पंजीकरण हुआ है। यह देखा गया कि जिन राज्यों में अधिक पंजीकरण हुआ है वहाँ पर श्रमिक कल्याण पर अधिक खर्च किया गया था।

8.5.3 लॉकडाउन (तालाबंदी) और पलायन

पलायन एवं प्रवासी कई अन्य कारणों से भी प्रभावित हो सकते हैं। कोविड–19 (कोरोना) महामारी भी उनमें से एक प्रमुख कारण हैं। महामारी को फैलने से रोकने के लिये सामाजिक दूरी बनाये रखना एक उपाय था तथा इसके लिए लॉकडाउन (तालाबंदी) का निर्णय लेना बेहद जरूरी था। भारत सरकार ने तालाबंदी की घोषणा मार्च 2020 में की थी। इस तालाबंदी में सभी प्रकार की आर्थिक इकाइयों एवं संस्थाओं को बंद किया गया, सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे होने पर पांबदी लगा दी गई थी। लोगों को उनके घरों में ही रहने की सलाह दी गई। तालाबंदी का असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। लॉकडाउन की घोषणा के समय ज्यादातर लोगों ने औपचारिक आर्थिक गतिविधियों में काम करते थे तथा किराये के मकानों में रहते थे। लॉकडाउन (तालाबंदी) ने उनकी आय के स्रोतों को बंद कर दिया। उनमें से अधिकांश किराये के मकान में न रहकर सार्वजनिक स्थानों जैसे पुल के नीचे या फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए। रोजगार के अवसर समाप्त होने के साथ–साथ उनके पास रहने को भी जगह नहीं थी। इसने उनके अंदर आजीविका की असुरक्षा की भावना पैदा की। इसने

रिवर्स माइग्रेसन को पैदा किया। रिवर्स माइग्रेसन में प्रवासी उल्टी दिशा में जाते हैं अर्थात प्रवासी अपने कार्यस्थल से अपने निवास स्थान की ओर पलायन करते हैं। इनमें से कई सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की ओर रवाना हुए थे।

अभ्यास प्रश्न 2

1) मौसमी पलायन क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य की प्रतिक्रिया क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

8.6 संदर्भ

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html, United Nations official website.

केसरी, कमल और आर. बी. भगत, इन ''टेम्परेरी एन्ड सीजनल माइग्रेसन : रीजनल पैटर्न, कैरक्टेरिक्टिकय एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स'', *ई. पी. डब्ल्यू*, जनवरी, 28, 2012, वोल्यूम–47, नं. 4, पेज 81–88.

ली, इवरेट, *''ए थ्योरी ऑफ माइग्रेसव''*, डेमोग्रेफी, 1996, वॉ. 3, न. पे. 47–57।

मजूमदार, इंद्राणी, एन. नीक्षा, एण्ड इंदू अग्निहोत्री, – ''माइग्रेसन एण्ड जेन्डर इन इंडिया, *''ई.पी.डब्ल्यू.*, मार्च 9, 2013, वोल्यूम, 48, नं. 10, पेज 54–64.

मुखर्जी, राहुल, 2014 – *पोलिटिकल इकोनोमी ऑफ रिफार्मस इन इंडिया*, न्यू–दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस.

मुनक, रोनाल्डो – ''प्रिकेरियट, ए व्यू फ्रोम द साउथ'', *थर्ड वर्ल्ड क्वारटर्ली*, 2013, वोल्यूम 34, नं. 5, पेज 747–762.

रिवेंसटीन, ई. जी, – ''द लॉज ऑफ माइग्रेसन'', *जर्नल ऑफ द रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी*, जून 1889, वोल्यूम 52, नं. 2, पेज 241–305.

रॉय, शमिन्द्र एन्ड मनीष मुक्त नायक – ''माइग्रेंट्स इन कंसट्रक्शन वर्क : इवेल्यूएटिंग देयर वेल्फेयर फ्रेमवर्क'', *सेंटर फॉर पोलिसी रिसर्च*, जून 2017.

स्टैंडिंग, गाई, 2011 – ''द् प्रिकेरियट : द् न्यू डेंजर्स क्लास, न्यूयार्क : ब्लूम्सबरी

तुंबे, चिनमेय (2018). इंडिया मूविंग : ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेसन, पेगंवित/वाईकिंग

https://censusindia.gov.in/2011census/migration.html, Census 2011, Government of India

Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) billhttps://clc.gov.in/clc/clcold/Acts/shtm/ismw.php, official website of Chief Labour Commissioner, Government of India

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223702,

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html

Faetanini, Marina and Rukmini Tankha, "Social Inclusion and Internal Migrants in India", June 2013, New Delhi: UNESCO.

8.7 सारांश

भारत में किसी एक राज्य एवं राज्यों के बीच एक से अधिक प्रवास बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीकरण, शहरीकरण और परिवहन एवं संचार प्रौद्योगिकी ने और अधिक आगे बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर श्रम गतिशीलता एक आम बात हो गई है। इसकी उत्पति का प्रमुख कारण गंतव्य बिंदू पर पुल कारक तथा पुश कारक शामिल हैं। शहरों में पुनर्वास लाभ और जोखिम के साथ आता है। मौसमी प्रवासी श्रमिकों को आजीविका में स्पष्ट रूप से जोखिम उठाना पड़ता है। महत्वपूर्ण रूप से मौसमी प्रवासी श्रमिकों को अलगाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे एक नये सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अनुभव करते हैं। उनके पास एक सामूहिक आवाज जिसके द्वारा कार्यस्थल पर कल्याण और सुरक्षा के लिये दावे करने वे कर सकें, की कमी है। असंगठित श्रम के रूप में वे ठेकेदारों और प्रबंधकों की दया पर निर्भर रहते हैं।

केन्द्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिये प्रासंगिक कदम उठाये हैं। प्रवासी मजदूरों और निर्माण उद्योग में काम करने वालों के कल्याण के लिये विशेष कानून बनाये गये हैं। ये कानून राज्य सरकारों के लिये व्यापक दिशानिर्देश और दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए कल्याण के लिये प्रावधानों को लागू करने का कार्य और लक्ष्य समूहों के कल्याण को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्य है। सफल नीति हस्तक्षेप के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच उच्च स्तर की आंतरिक निर्माता एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।

8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) प्रवासन से तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन से हैं। यह स्थायी या अस्थायी निवास के लिए होता है। प्रवासन राज्य के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो सकता है। पहले वाले को अंतर्राजीय प्रवासन कहते है जबकि दूसरे वाले को अंतर्राराज्यीय प्रवासन कहते हैं। प्रवासन सामान्य तौर पर पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर होता है। जो कि प्रवासियों को अवसर प्रदान करते हैं।

2) पुश एवं पुल कारक प्रवासन के कारणों को परिभाषित करते हैं। पुल एवं पुश की अवधारणाऐं एवरेट स्पर्जन ली द्वारा प्रतिपादित की गई है। पुश कारक वे कारक हैं, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करने को मजबूर करते हैं, इनमें रोजगार की कमी, गरीबी, सामाजिक कारक, विस्थापन इत्यादि, कारण हो सकते हैं। जबकि पुल कारक वे हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण गंतव्य स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होना है।

3) भूमंडलीकरण भुगतान संतुलन की चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से 1991 में शुरू हुआ था। इसने व्यापार पर प्रतिबंधों में ढील दी थी। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों विशेषकर प्रौद्योगिकी उद्योग में का सृजन हुआ। इसने विशेष रूप से महानगरीय शहरों में नौकरी के अवसरों के नये केन्द्र बनाये। इसके परिणामस्वरूप नये केन्द्रों में प्रवास को बढ़ावा मिला। लेकिन वैश्वीकरण ने अकुशल प्रवासी मजदूरों के लिये अनिश्चिता और खतरे भी पैदा किए।

अभ्यास प्रश्न 2

1) मौसमी प्रवास वह प्रवास है जो विशिष्ट मौसमों में होता है। इसमें लोग अपने मूल स्थानों से अपने गंतव्य की ओर रोजगार खासकर कृषि, विनिर्माण या किसी अन्य क्षेत्रों में, के लिय पलायन करते है। लेकिन मौसमी प्रवास में वे पूरे साल के लिए पलायन नहीं करते हैं। वे कुछ समय काम करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं तथा वे कुछ समय बाद वापस प्रवास के लिए जाते है। इस तरह उनके प्रवास की गति गोलाकार तरीके में जारी रहती है।

2) राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों पर कानून एवं नीतियाँ बनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं। उनके माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कल्याण बोर्डों की स्थापना की जाती है ताकि उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकें तथा उन बोर्डों में उन्हें उनका प्रतिनिधित्व भी मिल सकें। इन उपायों से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ जैसे, कानूनों को लागू करवाने में तथा उनके लाभ उठाने में अक्षमता क्योंकि वे एक मोबाइल (गतिशील) समूह हैं।